संख्या-42/2024/1262/60-1-2024

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 20 दिसम्बर, 2024**

विषयः- स्टेट डाटा मैनेजमेन्ट सेन्टर (एस0डी0एम0सी0) की स्थापना/संचालन कराये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2123/निदे0म0क0/प्रोबे/एस0डी0एम0सी0/2024-25, दिनांक 07.11.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेन्टर की स्थापना/संचालन अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था M/s Axis Info line Pvt. Ltd. से कराये जाने तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 15.11.2024 में वर्णित प्रोक्योरमेंट मैन्युअल, 2016 के सुसंगत अंश प्रस्तर-11.17 (3) (b) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य हेतु आंकलित कुल लागत रू0 6,79,04,819.00/- के सापेक्ष 40 प्रतिशत की **धनराशि रू0 2,71,61,926/- (रू0 दो करोड़ इकहत्तर लाख इकसठ हजार नौ सौ छब्बीस मात्र)** का अग्रिम भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-05-किशोर न्याय निधि-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि से किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-17/2017/ए-1-1027-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25-10-1983, 10-06-2011 तथा 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(3) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, महिला कल्याण विभाग का होगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा इस संबंध में योजना की गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार कारवाई की जायगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,71,61,926 (रुपये दो करोड़ इकहत्तर लाख इकसठ हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

049 लेखा शीर्षक 2235021020500 किशोर न्याय निधि मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-109-X-2024-25, दिनांक-17-12-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-42/2024/1262(1)/60-1-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (खा-परीक्षा ेल), प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।